

(देखिये नियम 6)

फार्म 'क'

राज्य सरकारो तथा प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा -2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग-II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-परियोजना / स्कीम का स्थान

(I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(II) जिला	सोनभद्र
(III) वन प्रभाग	रेनुकूट
(IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर मे)	555.759 हे०
(V) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
(VI) हरियाली का घनत्व	0.1
(VII) प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) । सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध मे एफ़आरएल, एफ़आरएल-2 मीटर पर परिगणना और एफ़आरएल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	वृक्षों का पातन निहित नहीं है ।
(VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नहीं है ।
(IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	सटा हुआ ।
(X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाग रिजर्व, हाथी कॉरीडोर, आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं ।
(XI) क्या क्षेत्र मे वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नहीं ।
(XII) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र मे स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें ।	नहीं ।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 मे प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है ।	प्रस्तावित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है ।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन मे कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं ।	नहीं ।

क्षेत्रीय वन अधिकारी

जरहाँ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	
(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(III) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाणपत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	संलग्न है।
11. उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI, XII), 8 और 9 में पुछे गए तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	
12. विभाग/जिला प्रोफाइल	
(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788.00 वर्ग कि०मी० (678800) हे०
(II) जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग कि०मी० (378286) हे०
(III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	29 मामले (2965.7451) हे०
(IV) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	2206.00+133.2994=2339.2994 हे०
(क) दंड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	
(ख) वनेत्तर भूमि पर	
(V) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क) वन भूमि पर	2206.00 हे०
(ख) वनेत्तर भूमि पर	133.2994 हे०
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रश्रगत प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि पर पूर्व से पावर प्लांट आदि निर्मित है जिसके स्वीकृति हेतु संस्तुति कि जाती है।

दिनांक 01-12-2022

स्थान :- रेणुकूट


क्षेत्रीय वन अधिकारी
 जरहॉ रेन्ज
 रेणुकूट वन प्रभाग
 रेनकट

हस्ताक्षर

(नाम)


 सरकारी मोहर
 (मनमोहन मिश्रा)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र